न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—312 / 2008 / 75 (2008 / 00005)

ग्रामवासी तीतरिया, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर जरियेः—

1. किशनलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण,
2. राधेश्याम पुत्र रामचन्द्र जाति वेष्णव,
3. गोपाल पुत्र हरदेव, जाति जाट,
4. रामेश्वर पुत्र मांगीलाल, जाति जाट,
5. कजोड पुत्र हरदेव, जाति कुम्हार,
   समस्त निवासीगण तीतरिया, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. भैरूनाथ पत्रु छीतरनाथ, जाति नाथ, निवासी तीतरिया, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्**पोडेंटस**

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 1.10.1976.

उपस्थितः—

1. श्री भंवरलाल शर्मा एवं श्री आर0पी0शर्मा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 2 .

निर्णय

दिनांकः— 18.10.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 1.10. 1976 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 1.10.1976 को राजस्व कैम्प कालेड़ा कृष्णगोपाल, तहसील केकड़ी में विवादित आराजी खसरा नंबर 550/2 रकबा 9–01–00 बीघा किस्म बारानी जिसके नये खसरा नंबर 334 व 335 स्थित ग्राम तीतरिया, तह0 केकड़ी का रेस्पो0 संख्या 1 को आवंटन किया गया है । मौके पर कदीमी रास्ता है । राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में उक्त आवंटन के अंकन की जानकारी ग्रामवासियों को दिनांक 18.7.2008 तक नहीं थी। दिनांक 18.7.2008 को रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा रास्ते में आने–जाने में बाधा उत्पन्न करने के कारण ग्रामवासियों द्वारा नकले तथा अन्य दस्तावेजात एकत्रित कर उक्त आवंटन से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि विवादित आवंटन के समय अपीलांटस पक्षकार नहीं थे ओर न ही अपीलांट को आवंटन की सूचना दी गई थी । विवादित आराजी ग्रामवासियों की खातेदारी की आराजी में आने जाने का रास्ता है और ग्रामवासियों का हित है । इस कारण अपीलांटस को अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 1.10. 1976 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे । अपीलांटस व्यथित पक्षकार है ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 18.7.2008 को रेस्पो0 संख्या 1 ने खसरा नंबर 375 स्थित ग्राम तीतरिया में आने–जाने का रास्ता रोक दिया तब ग्रामवासियों को उक्त आवंटन आदेश की जानपकारी हुई । तत्पश्चात् अपीलांटस ने अपीलाधीन आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि दिनांक 1.10.1976 को राजस्व कैम्प कालेड़ा कृष्णगोपाल, तहसील केकड़ी में विवादित आराजी खसरा नंबर 550/2 रकबा 9–01–00 बीघा किस्म बारानी जिसके नये खसरा नंबर 334 व 335 स्थित ग्राम तीतरिया, तह0 केकड़ी का रेस्पो0 संख्या 1 को आवंटन किया गया है जो नियम विरूद्ध है क्योंकि विवादित आराजी में मौके पर कदीमी रास्ता बना हुआ है जो आज भी मौजूद है । अपीलांटस अपने पूर्वजों के समय से उक्त भूमि को रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है । पटवारी हल्का द्वारा ग्रामवासियों व रेस्पो0 संख्या 1 की उपस्थिति में विवादित आराजी का मौका देखा था जिसमें रेस्पो0 संख्या 1 ने रास्ते से आना जाना स्वीकार किया था । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि आवंटन से पूर्व आम सूचना जारी नही की गई थी तथा पटवारी हल्का द्वारा भी मौके की रिपोर्ट पेश नहीं की गई है । आवंटी ने आवंटन नियमों की पालना भी नहीं की है । आवंटी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलाधीन आवंटन तथ्य छिपाकर व धोखे से प्राप्त किया है । आवंटित भूमि पूर्वजों के समय से रास्ते के रूप में उपयोग आने से आवंटन योग्य नहीं थी । अधी0न्याया0 ने मौके की जांच कराये बिना अपीलाधीन आवंटन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर खसरा

नंबर 550/2 रकबा 9–01–00 बीघा का आवंटन आदेश निरस्त किया जावे ।

7. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि विवादित आराजियात का आवंटन रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में विधिसम्मत् रूप से किया गया है। आवंटित भूमि पर कभी भी रास्ता कायम नहीं रहा है एवं न ही राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज है । अपीलांटस ने द्वैषतावश यह अपील पेश की है । आवंटी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा आवंटन आदेशों की पालना की जाकर कृषि कार्य किया जा रहा है । अपीलांटस द्वारा सन् 1976 के आवंटन आदेश के विरूद्ध इतने वर्षो बाद अपील पेश की गई है जबकि नियमानुसार रेस्पो0/आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

8. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का आवंटन आदेश विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

9. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में कथन किया है कि विवादित भूमि पर अपीलांटस एवं अन्य ग्रामवासियों की आराजियात पर आवागमन हेतु रास्ता कदीमी समय से बना हुआ है । आक्षेपित आवंटन आदेश से आवागमन में बाधा उत्पन्न करने से अपीलांटस एवं अन्य ग्रामवासियों के हित प्रभावित हुए है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना न्यायोचित एवं आवश्यक समझते है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.10.1976 के विरूद्ध अपीलांटस को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

10. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का अवलोकन किया गया । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाकिव प्रतीत होते है । अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस को सुना नहीं गया था । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना न्यायोचित समझते है। अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

11. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा रेस्पो0 संख्या 1/आवंटी को ग्राम तीतरिया, तहसील केकड़ी के साबिक खसरा नंबर 550/2 रकबा 9–01–00 बीघा किस्म बारानी जिसके नये खसरा नंबर 334 व 335 का आवंटन किया गया है । अपीलांटस का कथन रहा है कि विवादित आवंटित भूमि में पूर्वजों के समय से लगभग 40–50 वर्षो से चारागाह भूमि एवं खातेदारी की भूमियों में आवागमन हेतु रास्ता बना हुआ था । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांटस ने वर्ष 1976 के आवंटन को वर्ष 2008 में चुनौती दी है । चूंकि अपीलांटस आवंटित भूमि पर कदीमी समय से रास्ता होने का कथन कर रहे है। आवंटित भूमि पर कदीमी समय से रास्ता मौजूद है अथवा नहीं तथा वर्तमान में उक्त भूमि रास्ते के उपयोग में ली जा रही है अथवा नहीं इसकी जांच करवाया जाना उचित समझते है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में हम प्रकरण को जांच हेतु अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है ।

12. अतः अपील अपीलांटस इस प्रकार निर्णित की जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी आक्षेपित तथ्यों की अपने स्तर पर जांच एवं परीक्षण करे । यदि अपीलाधीन आवंटित भूमि में मौके पर रास्ता विद्यमान हो तथा सार्वजनिक उपयोग व उपभोग ग्रामवासियों द्वारा किया जा रहा है तो आवंटन आदेश को निरस्त करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावे तब तक आक्षेपित आवंटन आदेश दिनांक 1.10.1976 यथावत रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 18.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर